राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1821/2016..... .....जिला .....बीकानेर

उनवान : मैसर्स विट्ठल स्टोर, स्टेशन रोड़, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–'बी', बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2017	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 343/आरवैट/बीकानेर/2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 208.02.2016 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट द्वितीय वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अधिनियम की धारा 25,56,61 एवं 75(8) के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2013 को पारित कर कर रू.रू. 1,29,006/– एवं ब्याज रू. 1,21,641/– कुल रू. 2,50,647/–की मांग सृजित की है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने उसे यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी ने सृजित मांग रू. 2,50,647/–में से रू. 2,44,147/–की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 3.7.2012 को किये जाने पर व्यवहारी द्वारा विभाग में पंजीयन का दायित्व होते हुए भी पंजीयन नहीं करवाया जाना पाया गया तथा मौके पर पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 56, 61 व 75(8) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.10.2013 को पारित करते हुए कर व शास्ति के रूप में कुल रूपये 2,50,647/– की मांग कायम की गई। उक्त मांग से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखा है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि रू. 2,50,647/–में से रू. 2,44,147/– की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ओ. पी. दोसाया तथा विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1821/2016..... जिला .....बीकानेर.....

उनवान : मैसर्स विट्ठल स्टोर, स्टेशन रोड़, बीकानेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–द्वितीय, वृत–'बी', बीकानेर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2017	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने सुनवाई के दौरान व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज पर निर्णय देते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया है। प्रकरण में अपीलार्थी को गुणावगुण के आधार पर सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। गुणावगुण के आधार पर भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य में कर चुका माल क्रय किया जाकर विक्रय किया जाता है, जिन पर वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुबारा करारोपण नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी का पंजीयन का दायित्व नहीं बनता है। इसके बावजूद अपीलार्थी द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के अपीलार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम की है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों को विचारित किये बिना अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्वेक्षण के समय पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से कर व शास्ति का आरोपण किया गया है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने, पत्रावली में उपलब्ध अपील के आधारों का अवलोकन करने पर यह पीठ, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 2,44,147/– की वसूली पर अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 17.03.2917 तक के लिए रोक इस शर्त के साथ लगाई जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, पारित आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा। अपील प्रकरण सुनवायी हेतु **दिनांक** 17.03.2017 एकलपीठ के समक्ष अजमेर में पेश हो तहत का रिकॉर्ड शीघ्र तलब हो। आदेश सुनाया गया। (सुनील शर्मा) सदस्य	